भारतीय जनता पार्टी

भारतीय जनता पार्टी के विधि तथा विधायी प्रकोष्ठ द्वारा **'गवर्नेंस और पॉलिटिक्स'**
पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी का भाषण
(मावलंकर हॉल, नई दिल्ली : 30 अगस्त 2008)

श्री राजनाथ सिंह जी, श्री जसवंत सिंह जी, श्री बाल आप्टे, श्रीमती पिंकी आनन्द और भाजपा के विधि तथा विधायी प्रकोष्ठ के अन्य पदाधिकारीगण, देश के विभिन्न भागों से आये प्रतिनिधी, देवियो और सज्जनो,

''गवर्नेंस और पॉलिटिक्स'' (शासन और राजनीति) पर यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए श्रीमती पिंकी आनन्द तथा भारतीय जनता पार्टी के विधि तथा विधायी प्रकोष्ठ के उनके सहयोगियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

मेरी इच्छा थी कि आप इस सम्मेलन के शीर्षक में थोड़ा परिवर्तन करके इसका नाम **'सु–राज**' और **सु–नीति'** रखते। मेरे विचार में यह नाम भारतीय जनता पार्टी के दर्शन तथा वचनबद्धता को बेहतर ढंग से व्यक्त करता है। राजनीति में हम लोग केवल शासन करने के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि सु–शासन लाने के लिए काम करते हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं तो उस समय भी हमारा संघर्ष केवल *सत्ता* पाने के लिए नहीं होता बल्कि *सु–नीति* लागू कराने के लिए होता है।

सु–राज क्यों?

सु–राज के बारे में हमारी सोच बहुत ही स्पष्ट है और इसे हमने कई अवसरों पर सुस्पष्ट भी किया है। हमारा विश्वास है कि भारत के पास एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए काफी क्षमता है। यहां विकास का अर्थ भारतीय दृष्टि से समाज तथा व्यक्ति की समन्वित और सम्पूर्ण उन्नति के रूप में लगाया जाता है। हम समझते हैं कि भारत के पास विश्व के मामलों में बदलाव लाने हेतु अपनी सभ्यतात्मक भूमिका निभाने के लिए वे सभी प्रकार की क्षमताएं मौजूद हैं जो एक सशक्त, समृद्ध और सद्भावपूर्ण राष्ट्र बनने के लिए अपेक्षित हैं।

ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि कोई भी भारतीय गरीबी से ग्रस्त रहे। और, भारत के लिए अपनी एकता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने में कमजोरी दिखाना औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता।

यदि भारत ने स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद छः दशकों में भी अपनी पूरी क्षमता विकसित नहीं की है तो यह उन लोगों की राजनीति की विफलता है जिन्होंने स्वराज को सुराज में बदलने के लिए लम्बी अवधि तक शासन किया है।

शासन में आई गिरावट के कारण भारत को नुक्सान उठाना पड़ा है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अनेक लोगों के लिए राजनीति एक व्यापार बन गई है। क्योंकि आज उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का विष शासन के कई हिस्सों में फैल चुका है। इसके परिणामस्वरूप, जब कभी किसी नागरिक को अपने उचित और न्यायसंगत कार्यों के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है तो उसे प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है और वह काफी अपमानित महसूस करता है।

स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार से भारत की आर्थिक वृद्धि को काफी झटका लगा है और क्षति पहुंची है।

शासन की संस्थाओं का दुरूपयोग

सुशासन को दूसरे कारण से भी क्षति पहुंची है। सत्ता का दुरूपयोग करने के लालच ने हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने में उनके संस्थापकों को काफी अधिक लापरवाह बना दिया है। उदाहरण के लिए, सी.बी.आई. का बोफोर्स कांड में मुख्य आरोपी ओटोवियो क्वात्रोची को बचाने के लिए निर्लज्जतापूर्वक दुरूपयोग किया गया है। **प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों होने दिया? और यह किसके कहने पर किया? किस व्यक्ति को बचाने के लिए, क्वात्रोची को सरक्षंण दिया जा रहा है? पूरा राष्ट्र डा0 मनमोहन सिंह से इसका उत्तर जानने की प्रतीक्षा कर रहा है। वे क्वात्रोची के बचाव पर मौन धारण नहीं कर सकते हैं।**

अभी हाल ही में, हमने बेहिसाब धन–सम्पत्ति रखने के मामलों में दोषी कुछेक राजनीतिज्ञों के अनोखे उदाहरण देखे हैं। **जब उन्होंने सरकार का विरोध किया तो उनके विरूद्ध मामलों पर तेजी से कार्रवाई हुई और जब उन्होंने सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया तो यह कहानी एकदम उलट गई।**

क्या इस तरह की छलपूर्ण राजनीति और भ्रष्ट शासन हमारी जनता विशेषकर हमारे युवाओं में दोषदर्शिता पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या राजनीतिज्ञों और जनता के बीच बढ़ते हुए अंतर का यही तो कारण नहीं है?

ये वे प्रश्न हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोगों को चिन्तन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्त्ता, पदाधिकारी, विधायक तथा मंत्री को यह महसूस करना होगा कि हमसे राजनीति और शासन में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

इसलिए, कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज भारत में जरूरत केवल एक सत्ताधारी पार्टी को दूसरी पार्टी से बदलने की नहीं है और न ही केवल एक ऐसी पार्टी और गठबन्धन जो अत्यधिक अनैतिक, भ्रष्ट और घृणित तरीके अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहता है, जैसाकि हाल में देखा गया है, को एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी अथवा बेमेल गठबन्धन जो ऐसे ही अनैतिक कार्य करता है, से बदलने की है।

विश्वासमत : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन.डी.ए.) और संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यू.पी.ए.) के व्यवहार में तुलना

आज भारत को एक ऐसी पार्टी–भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की जरूरत है जो लोकतंत्र, विकास और सु–शासन के आदर्शों और सिद्धान्तों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कई बार और सबसे अधिक आपातकाल के विरूद्ध संघर्ष के दौरान दर्शाया है। हमने विकास और सु–शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उस समय प्रदर्शित किया जब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छः वर्षों (1998–2004) तक शासन करने के लिए जनादेश दिया था।

मैं केवल एन.डी.ए. सरकार और यू.पी.ए. सरकार की संस्कृतियों के बीच अन्तर दिखाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। वर्ष 1999 में हमारी सरकार को एक वोट–**केवल एक वोट**–से गिरा दिया गया था और वह वोट भी एक छलपूर्ण वोट था। **लेकिन किसी ने भी, यहां तक कि हमारे आलोचकों ने हम पर भी सत्ता में बने रहने के लिए सांसदों की खरीद–फरोख्त में शामिल होने का दोष नहीं लगाया।** हमने चुनौती को स्वीकार किया, हम एक नया जनादेश लेने के लिए जनता के पास गये, और हमने फिर से एक निर्णायक जनादेश हासिल किया।

दूसरी तरफ, जुलाई 2008 में क्या हुआ? कांग्रेस और इसके गठबन्धन की पार्टियों ने लोकतंत्र के मंदिर को ही अपवित्र करके विश्वास मत हासिल किया। पूरे देश ने हमारे उन तीन सांसदों को देखा जिन्होंने ''व्हिसल ब्लॉयर'' के रूप में कार्य किया और एक करोड़ रूपये के करेंसी नोटों के बंडलों को संसद में दिखाकर रिश्वत कांड का भंडाफोड़ किया। घूस का यह पैसा यू.पी.ए. सरकार के उद्धारकों से आया था जिन्होंने सांसदों की खरीद–फरोख्त करके अल्पमत सरकार को बहुमत में बदलने का दुःसाहसपूर्ण कार्य किया। सांसदों की खरीद–फरोख्त की ऐसी निर्लज्जता भारतीय संसद के इतिहास में कभी नहीं देखी गई।

ऐसा कांग्रेस पार्टी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी तथा सहमति के बिना नहीं हो सकता था। पूरा राष्ट्र श्रीमती सोनिया गांधी और डा0 मनमोहन सिंह से

इस अभूतपूर्व कांड पर अपना मौन तोड़ने की आशा कर रहा है जिसने विश्व की नजरों में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को कलुषित कर दिया है।

एक संसदीय समिति इस मामले की जांच कर रही है। भारत की जनता इस जांच के निष्पक्ष और शीघ्र परिणाम आने का इंतजार कर रही है। यह खेद का विषय है कि इस कांड के प्रमुख दोषी को जांच समिति द्वारा अभी तक नहीं बुलाया है। तथापि, **मैं कांग्रेस पार्टी और सरकार के नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस कांड में सच्चाई को दबाने की किसी भी कोशिश को–जैसाकि बोफोर्स मामलों में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा किया गया था–जनता द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। ऐसा सन् 1989 में हुआ था; यही फिर सन् 2009 में होगा।**

भारतीय संसद पर लगा यह धब्बा–और मैं इस धब्बे की तुलना तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में लगाए गये शर्मनाक आपातकाल (इमरजेंसी) से कर रहा हूं–तभी मिटेगा जब इस कांड के बारे में सच्चाई को उजागर किया जाए और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। **यदि ''वोटों के बदले पैसा'' ही मानदंड (Norm) बन जाएगा तो भारत के संसदीय लोकतंत्र का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा।**

प्रधानमंत्री के रूप में डा0 मनमोहन सिंह के कार्य–निष्पादन के बारे में एक अत्यंत कटु अभियोग लगाते हुए, एक जाने–माने पत्रकार श्री **एम. जे. अकबर** ने अपने एक ताजे लेख में निम्नलिखित टिप्पणी की है : **''मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी के रूप में प्रतिष्ठा सरकार के चार साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस की आखिरी बाकी बची सम्पति थी। मतदाता उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बेदाग और पाक–साफ होने पर कभी भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ''वोटों के बदले पैसा देने और टेप कांड को छिपाने'' के कांड के बाद मनमोहन सिंह एक दूसरे कलकिंत राजनीतिज्ञ बन गये हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए सबसे अधिक गलत काम करने वाले लोगों की कम्पनी में रहकर गंदी सड़क पर दावत उड़ाने और जोड़–तोड़ करने वाले लोगों से बतियाते हुए गंदी रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा करना चाहते हैं।''**

विधिक तथा न्यायिक सुधार के प्रति हमारी ठोस प्रतिबद्धता

मित्रो, चूंकि यह सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के विधि तथा विधायी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया है इसलिए मैं विधिक तथा न्यायिक सुधार उपायों के प्रति अपनी ठोस प्रतिबद्धता को दोहरा रहा हूं। सभी सम्बन्धित लोग और कानूनी बिरादरी के जागरूक वर्ग यह भली–भांति जानते हैं कि सु–शासन के मार्ग में एक सबसे बड़ी अड़चन भारत में न्याय–प्रदाय प्रणाली की कमजोर स्थिति है।

हमें अपनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गर्व है जिसकी सभी परिस्थितियों में रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि हम इस प्रणाली की अनेक खामियों के प्रति उदासीन

नहीं रह सकते। वास्तव में, कानूनी बिरादरी के कई सम्मानित सदस्य इन खामियों को प्रकाश में लाये हैं और उन्होंने स्वयं ही उनके बारे में गंभीर चिन्ताएं व्यक्त की हैं।

यदि जनता हमें केन्द्र में अगली सरकार बनाने का जनादेश देती है तो **मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम विधिक और न्यायिक सुधारों को सु–शासन के हमारे एजेण्डा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला पहलू बनाएगें।**

विशेष रूप से इसका उल्लेख करूं तो, हमारे देश में नागरिकों विशेषकर गरीब लोगों के साथ हो रहे अन्याय के अनेक मामले अनसुलझे रहे जाते हैं और उनके अधिकारों का उल्लघंन होता है क्योंकि न्याय देने वाली प्रक्रिया बहुधा अनुपलब्ध और बूते से बाहर की बात होती है। न्याय का तुरन्त निपटारा और उच्चस्तरीय न्याय अभी भी मृगतृष्णा बना हुआ है। **देशभर के न्यायालयों में 20 मिलियन से ज्यादा केस अभी भी लम्बित हैं, कुछ तो 1950 से चल रहे हैं। भारत में जजों का जनसंख्या में अनुपात प्रति 10 लाख नागरिकों पर 10.5 जजों का है। इसकी तुलना में अमेरिका में 10 लाख नागरिकों पर 107 जज हैं।**

इसलिए, **हमारी पहली प्रतिबद्धता होगी बजटीय प्रावधानों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना ताकि न्यायिक प्रणाली को तेज बनाया जा सके तथा न्याय मिलने में होने वाले विलम्ब को कम से कम किया जा सके। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का 0.2 प्रतिशत ही न्यायापालिका पर व्यय किया जाता है। हम इसे पांच वर्षों में पांच गुना तक बढ़ाएंगे। राज्य सरकारों को स्थानीय न्यायालयों के पदों को भरने में पूरी सहायता दी जाएगी।** इससे अपने आप लम्बित केसों में कमी आएगी।

दूसरे, भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या–और यह समस्या नागरिकों और न्यायिक प्रणाली दोनों के लिए है–कि केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारें **सबसे बड़े मुकदमेबाज** हैं। हम इस बोझ को घटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

तीसरे मैं जानता हूं कि पूरे देश के नागरिक और विधिक बिरादरी यह महसूस करती है कि सर्वोच्च न्यायालय जोकि, हमारी न्यायिक प्रणाली का उच्चतम निकाय है, अधिक दूर, अधिकाधिक अनुपलब्ध और सभी प्रकार के मामलों के ज्यादा भार से दबा हुआ है। इसलिए एक सुझाव है कि सर्वोच्च न्यायालय की चार क्षेत्रीय बेंच–दिल्ली (उत्तर भारत के लिए), कोलकाता (पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लिए), चेन्नई (दक्षिण भारत के लिए) और मुबंई (पश्चिमी तथा मध्य भारत के लिए) होनी चाहिए, जो उच्च न्यायालयों की सिर्फ अपीलों को सुनें। नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य बेंच संवैधानिक मामलों, अन्तर्राज्यीय विवादों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई तक अपने को सीमित रखे, **यदि इस पर व्यापक सहमति बनती है तो हम इस पर विचार करेंगे।**

चौथा, हम किसी भी ऐसे प्रभावी तंत्र पर विचार करने को तैयार हैं जो राजनीतिज्ञों और सिविल प्रशासकों के प्रमुख आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के केसों की तुरन्त सुनवाई कर न्याय कर सकें। यह राजनीति तथा न्यायिक प्रणाली में जनता की आस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है।

मैं शीघ्र ही, श्री अरूण जेटली के नेतृत्व में प्रमुख विधि और संवैधानिक विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति गठित करूंगा जो हमारे सु–शासन के वृहद एजेंडा के तहत विधिक और न्यायिक सुधार का एजेण्डा तैयार करेगा, और इसे स्वीकार करने से पहले राष्ट्रव्यापी बहस के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

कांग्रेस के हाथों में भारत सुरक्षित नहीं

इस संदर्भ में जो मेरी अंतिम चिन्ता का विषय अपराधिक न्याय–प्रणाली है जहां स्थिति भयावह हो रही है। **भारत में सजा की दर सिर्फ 6–7 प्रतिशत है। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें अपराधी अपने को सुरक्षित महसूस करता है और कानून के साये से बचा रहता है।** एन.डी.ए. सरकार में जब मैं गृहमंत्री था तब मैंने न्यायमूर्ति मलीमथ समिति गठित की थी, जिसकी अपराधिक न्याय–प्रणाली से जुड़ी सिफारिशें अभी तक की सर्वाधिक समग्र सिफारिशें मानी जाती हैं। न्यायमूर्ति वी.एस. मलीमथ ने ठीक ही कहा था ''केसों के निपटारे में अनिश्चित विलम्ब और सजा की चिन्ताजनक दर के परिणामस्वरूप अपराध एक फायदेवाला व्यवसाय बन गया है।...... लोग इस प्रणाली पर और ज्यादा भरोसा नहीं करते।''

यह सिर्फ सामान्य अपराधों के बारे में ही सच नहीं है अपितु आतंकवादी और देशद्रोही कृत्यों से जुड़े अपराधों से भी जुड़ा है। कोई भी राष्ट्र जो अपनी सुरक्षा और सुशासन के प्रति चिंतित है, इसे सहन नहीं कर सकता।

मित्रो, आतंकवादी अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने में यूपीए सरकार का रुख आश्चर्यचकित कर देने वाला और लगभग राष्ट्र के प्रति अपराध के समकक्ष है। सन् 2004 में सत्ता में आने के बाद इस सरकार का पहला काम 'पोटा' कानून को हटाना था। इनका काल्पनिक बहाना था कि 'पोटा' का दुरुपयोग किया गया। क्या किसी कानून का कुछ मामलों में दुरुपयोग कानून को समाप्त करने का न्यायोचित कारण हो सकता है? इस तर्क के आधार पर विधि की पुस्तक के सारे कानूनों, साधारण अपराधों से जुड़े कानूनों सहित, को समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि सभी का कभी न कभी दुरुपयोग तो हुआ होगा।

कल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य की पुलिस ने अहमदाबाद के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की जांच के सिलसिले में किस तरह से सफलता पाई। एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार 'गुजरात कंट्रोल ऑफ आरगेनाइज्ड क्राइम एक्ट, 2004'

को स्वीकृति दिलाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करे। कई अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही आतंकवाद विरोधी कानून पारित किए हैं जो राष्ट्रपति भवन में स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं। महाराष्ट्र में पहले से ऐसा कानून लागू है।

श्री मोदी को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नकारात्मक जवाब ने एक बार फिर इस आरोप की पुष्टि कर दी है कि यू.पी.ए. सरकार आतंकवाद से लड़ने में न केवल अक्षम है अपितु इसके पास ऐसी इच्छाशक्ति भी नहीं है। इच्छाशक्ति की यह कमी वोट बैंक की राजनीति के कारण है। हाल ही में अल्पसंख्यकवाद की राजनीति का दु:खदायी उदाहरण तब देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने आतंकवादी संस्था सिमी (SIMI) से उठाए गए प्रतिबंध का स्वागत किया।

और भी अधिक चिंता का कारण है—यू.पी.ए. सरकार की जम्मू—कश्मीर की स्थिति को गलत ढंग से संभालना जिसने अलगाववादी ताकतों को ऑक्सीजन देने का काम किया है।

यह सब कांग्रेस पार्टी का राजनीति तथा शासन के प्रति नजरिया है। हमें लोगों को शिक्षित करना है कि वर्तमान शासकों के हाथों में भारत सुरक्षित नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। यह भी आशंका है कि आने वाले दिनों में आतंकवादी और अलगाववादी ताकतों की और हिम्मत बढ़ेगी।

मैं भाजपा में अपने सभी सहयोगियों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे कंधों पर अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और सुरक्षा की जिम्मेदारी आ पड़ी है। हमें उन बुरी शक्तियों को चेतावनी देनी होगी, जो हमारे देश को तोड़ने और हमारी भूमि पर मौत तथा विनाश का तांडव रचने का षडयंत्र कर रही हैं, उन्हें बहुत जल्दी सबक सिखाया जाएगा। यू.पी.ए. सरकार की नरम नीति ज्यादा दिन नहीं चलने दी जाएगी। भारत राष्ट्र हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग की जायज चिंताओं के प्रति संवेदनशील है मगर यह उनके प्रति नरम नहीं रह सकता जो इसके विरुद्ध षडयंत्र रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध भारत राष्ट्र की शक्ति और भारतीय लोगों की देशभक्तिपूर्ण शक्ति का पूरा उपयोग करेगी।

आज मैं आप सभी को इन विचारों से अवगत कराना चाहता था। मैं आपके राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद।